भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1269

उत्तर देने की तारीख- 30.07.2025

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कार्य व उपलब्धियां

1269. श्री नीरज डांगी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के लिए सरकार ने किस प्रकार के वित्तीय संसाधन आवंटित किए हैं और उक्त निधि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा;

(ख) क्या इस महाअभियान के तहत आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण या जागरूकता अभियान की योजना बनाई गई है; और

(ग) क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों और प्राप्त उपलब्धियों पर कोई रिपोर्ट या आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग) : 15 नवंबर 2023 को, माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया। मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में लोगों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर तक बेहतर पहुंच, जैसी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय ₹24,104 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8768 करोड़) है। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक मंत्रालय उसे सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान के अंतर्गत निधियों की वास्तविक निर्मुक्ति, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशानिर्देशों और निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधीन है। अभियान के अंतर्गत प्रगति का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

इस अभियान के अंतर्गत, वीडीवीके के लाभार्थियों को एनआईईएसबीयूडी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से उद्यमिता, कौशल विकास और मूल्य संवर्धन पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के समन्वय से आईईसी शिविरों का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन धन बैंक खाता जैसे बुनियादी दस्तावेजों को तैयार करने में सुविधा प्रदान करना है, जो आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, मनरेगा आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

अनुलग्नक-I

श्री नीरज डांगी द्वारा "प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कार्य व उपलब्धियां" के संबंध में दिनांक 30.07.2025 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1269 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

पीएम-जनमन के अंतर्गत प्रगति का विवरण

मंत्रालय का नाम	**गतिविधि**	**दिनांक 30.6.2025 तक**	
		स्वीकृति विवरण	**वास्तविक उपलब्धियाँ**
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	462159 घर	136112 घर पूरे हुए
	संपर्क सड़कें	6506.3 किमी	637 किमी
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	18385 गाँव	7406 गाँव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयाँ	694 एमएमयू	694 एमएमयू
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और संचालन	2500 आंगनवाड़ी केंद्र	2027 आंगनवाड़ी केंद्र क्रियाशील
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	492 छात्रावास	99 छात्रावासों का काम शुरू
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत एचएच का विद्युतीकरण	143194 घर (एचएच)	120227 घर (एचएच)
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	नई सौर ऊर्जा योजना के तहत स्वीकृत घर	9961 घर (एचएच)	2363 घर (एचएच)
संचार मंत्रालय	मोबाइल टावरों की स्थापना	3894 बस्तियों को कवरेज के लिए योजनाबद्ध किया गया	2516 बस्तियाँ कवर की गईं
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र	1000 एमपीसी	802 एमपीसी का काम शुरू
	वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना	516 वीडीवीके	332 वीडीवीके का काम शुरू

***संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।**

*****